न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 876 सन 2019

अनवान :–

1. रामअवतार पुत्र मुन्शीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 5/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 528/170 के खसरा न0 855/4.2360हैक्, एवं खाता संख्या 528/171 के खसरा न0 319/5.5770हैक् खसरा न0 658/4.2360हैक् खसरा न0 866 की 5.1220हैक् कुल 14.9350हैक् भूमि जिसमें वादी मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी का नाम नामान्तकरण संख्या 811 दर्ज करते समय रामचन्द पुत्र मुंशीराम दर्ज कर दिया जो सहवन व भूलवंश दर्ज हुआ है वादी का वास्तविक एवं सही नाम राम अवतार पुत्र मुन्शीराम है वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाना चाहता है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी को राज्य सराकर से दी जाने वाली सुविधाए जैसे सब्सीडी खाद बीज का ऋण, मुआवजा, फब्वारा व डिग्गी ऋण आदि प्राप्त नही हो पा रहे है

वादी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, वारिस प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, सभी में वादी का नाम राम अवतार पुत्र मुन्शीराम दर्ज है ग्राम पंचायत मन्दरपुरा के सरपंच के प्रमाण पत्र के अनुसार भी वादी का सही नाम राम अवतार पुत्र मुन्शीराम है ।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज होने खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी राजस्व रिकार्ड अपना नाम संशोधन करवाकर रामचन्द्र के स्थान पर राम अवतार करवाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिसटर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से पेरोकार राज उपसिथत होकर जबाब पेश किया की की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का निवास स्थान दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 528/170 के खसरा न0 855/4.2360हैक्, एवं खाता संख्या 528/171 के खसरा न0 319/5.5770हैक् खसरा न0 658/4.2360हैक् खसरा न0 866 की 5.1220हैक् कुल 14.9350हैक् भूमि जिसमें वादी मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी का नाम नामान्तकरण संख्या 811 दर्ज करते समय रामचन्द पुत्र मुंशीराम दर्ज कर दिया जो सहवन व भूलवंश दर्ज हुआ है वादी का वास्तविक एवं सही नाम राम अवतार पुत्र मुन्शीराम है वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाना चाहता है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी को राज्य सराकर से दी जाने वाली सुविधाए जैसे सब्सीडी खाद बीज का ऋण, मुआवजा, फब्वारा व डिग्गी ऋण आदि प्राप्त नही हो पा रहे है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, वारिस प्रमाण पत्र , परिवार राशन कार्ड , सभी में वादी का नाम राम अवतार पुत्र मुन्शीराम दर्ज है ग्राम पंचायत मन्दरपुरा के सरपंच के प्रमाण पत्र के अनुसार भी वादी का सही नाम राम अवतार पुत्र मुन्शीराम है वादी का वाद डिक्री फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 528 / 170 के खसरा न0 855 / 4.2360हैक , एवं खाता संख्या 528 / 171 के खसरा न0 319 / 5.5770हैक खसरा न0 658 / 4.2360हैक खसरा न0 866 की 5.1220हैक कुल 14.9350हैक भूमि जिसमें वादी मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र मुन्शीराम दर्ज है

वादी का कथन है कि उसका सही नाम राम अवतार पुत्र मुन्शीराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दर्ज करते समय गलत तौर से दर्ज हुआ है जिसे संशोधन करवाना चाहता है व अपने कथनों के सम्बध में शपथ पत्र भी पेश किया गया है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, वारिस प्रमाण पत्र , परिवार राशन कार्ड , आयकर पहचान पत्र , सभी में वादी का नाम राम अवतार पुत्र मुन्शीराम दर्ज है तहसीलदार राजस्व नोहर की जांच रिपोर्ट अनुसार वाद भूमि वादी को विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें नाम गलत अंकित हुआ है वादी का दोनो नामों से ही जाना जाता है दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है सही नाम राम अवतार है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादी का सही नाम राम अवतार होना प्रतीत होता है।

तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात पेरोकार भूमिधारी द्वारा वादी के वाद के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है शुद्वीपत्र के जरीये संशोधन के आदेश भी किये गये है एवं यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत मन्दरपुरा के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 528 / 170 के खसरा न0 855 / 4.2360हैक , एवं खाता संख्या 528 / 171 के खसरा न0 319 / 5.5770हैक खसरा न0 658 / 4.2360हैक खसरा न0 866 की 5.1220हैक कुल 14.9350हैक भूमि में वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र मुन्शीराम के स्थान पर राम अवतार उर्फ रामचन्द पुत्र मुन्शीराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. राम अवतार पुत्र मुन्शीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 876 सन 2019 निर्णय दिनांक– 5/3/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 528 / 170 के खसरा न0 855 / 4.2360हैक , एवं खाता संख्या 528 / 171 के खसरा न0 319 / 5.5770हैक खसरा न0 658 / 4.2360हैक खसरा न0 866 की 5. 1220हैक कुल 14.9350हैक भूमि में वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र मुन्शीराम के स्थान पर राम अवतार उर्फ रामचन्द पुत्र मुन्शीराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)